

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(79)वित्त-1(1)आय.व्य/2017

जयपुर, दिनांक : २१ जनवरी, 2019

स्वीकृति संख्या:- 639/2018-19

कोषाधिकारी,
उदयपुर।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी.खाते में राशि रुपये 930.00 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5/अभि/सीटीएडी/छात्रावास भवन निर्माण/2018-19 स्वीकृति सं. 38 दिनांक 08.01.2019 राशि रु. 600.00 लाख एवं एफ 6/सीटीएडी/लेखा/2018-19 स्वीकृति सं. 37 दिनांक 08.01.2019 राशि रु. 330.00 लाख में अंकित शर्तों के अनुसार आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी.खाते में कुल राशि रुपये 930.00 लाख (अक्षरे रुपये नौ करोड़ तीस लाख) मात्र की राशि निम्नांकित बजट मदों में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे :-

मांग संख्या -30

4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02 - अनुसूचित जन जातियों का कल्याण

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

(20) - जनजातिय क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जकनि)

[02] - जनजाति छात्र छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण

17 - वृहद निर्माण कार्य (राज्य निधि)

राशि रुपये 600.00 लाख

[14] - मॉ-बाडी केन्द्र भवन का निर्माण

17 - वृहद निर्माण कार्य (राज्य निधि)

राशि रुपये 330.00 लाख

योग- राशि रुपये 930.00 लाख

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

Sd—

(शरद मेहरा)

निदेशक, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, वित्त (बजट)